राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ0 राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर–302015

क्रमांकः– एफ 4(3) अ.स.नि. / मेरिट कम मीन्स / छात्रवृत्ति / 2020–21 / दिनांक :–

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
समस्त

विषयः– वर्ष 2020–21 में पोस्ट मैट्रिक व मैरिट कम मीन्स छात्रवृति ऑनलाईन आवेदन पत्रों एवं शिक्षण संस्थाओं की पोर्टल पर पंजीयन के संबंध में।

संदर्भ :– अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त पत्रांक F.No SS-15/19/2020-Scholarship-MoMA दिनांक 14.08.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में उल्लेख है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी) हेतु वर्ष 2020–21 मे संचालित केन्द्रीय प्रवर्तित पोस्ट मैट्रिक व मैरिट कम मीन्स (नवीन+नवीनीकरण) छात्रवृति योजनान्तर्गत विद्यार्थियो के द्वारा ऑनलाईन आवेदनों के संबंध में विवरण निम्नानुसार है :–

Timeline for Post Matric and Merit Cum Means

SCHEME NAME	ACTIVITIES	DATES
MERIT CUM MEANS and POST MATRIC SCHOLARSHIP	Opening of NSP Portal for submission of Post Matric and Merit Cum Means based scholarship application	16th August 2020
	Last date for Post Matric and Merit Cum Means based scholarship application	31ST October 2020

शिक्षण संस्थाओं हेतु निम्न कार्यवाही अपेक्षित हैः–

1. सभी विश्वविद्यालय / शिक्षण संस्था / महाविद्यालय / विद्यालय एन0एस0पी0 पोर्टल पर स्वयं पंजीयन करे जिसके संबध में निदेशालय के पत्रांक 3862–94 दिनांक 07.08.2020, 3379–3411 दिनांक 31.07.2020 व 2521 दिनांक 14.07.2020 द्वारा संस्था के पंजीयन एवं केवाईसी अपडेट किये जाने है, और संचालित कोर्स की जानकारी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर इंद्राज करें, तदपरान्त ही विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे तथा आवेदन पत्र को संस्था निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन अग्रेषित (सत्यापन) करें।
2. शिक्षण संस्थाओं का VALID DISE/AISHE/NCVT/SCVT CODE यदि उपलब्ध नही है तो स्वयं के स्तर से संबंधित विभागों से प्राप्त कर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर शिक्षण संस्थानों का निर्धारित तिथि तक पंजीकरण करवाया जाना आवश्यक है, इसके अभाव में विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना संभव नही है।

वर्ष 2020–21 में एन.एस.पी. में आशिंक परिवर्तन किये गये है, जिसके द्वारा इस वर्ष अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्रों में Filing fee details (Admission Fee, Tution Fee and Miscellaneous Fee) विकल्प विद्यार्थियों के स्तर से इन्द्राज ना करवाके संस्था स्तर द्वारा इन्द्राज करवाया जायेगा तथा वैरिफिकेशन के समय शिक्षण संस्था अपने स्तर पर फीस एडिट कर सकती है, उक्त विकल्प संस्था की प्रोफाईल पर कोर्स वाईज फीस विकल्प के माध्यम से भरा जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

-Sd-
(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ 4(2) अ.स.नि. / पोस्ट मैट्रिक / छात्रवृत्ति / 2019–20 / 4537-39 दिनांक :– 19/8/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
3. श्रीमती रजनी शर्मा, सूचना सहायक को भेजकर लेख है कि पत्र को शीघ्र वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. रक्षित पत्रावली।

(नसीम खान)
उपनिदेशक द्वितीय

Desktop/computer f/pms letter /2020-21